नेमीचंद बनाम रामकरण प्र.न. 43/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18.07.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट...खारिज... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 43/2023

1 नेमीचन्द उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व. नागरमल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 28 गोडमल का कुआ के पास कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

2 गायत्री देवी उम्र 79 वर्ष बेवाह नागरमल जाति माली निवासिनी वार्ड नम्बर 28 गोडमल का कुआ के पास कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामकरण पुत्र गिरधारी लाल

2 परमेश्वर लाल पुत्र गिरधारीलाल

3 पवन कुमार पुत्र गिरधारीलाल

समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 30 झौपड़ा चौक, कस्बा फतेहपुर।

4 सत्यनारायण पुत्र जगनाराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 28 गोडमल के कुए के पास कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

5 प्रभुदयाल पुत्र नागरमल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 28 गोडमल के कुए के पास कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

6 कमला

7 पुष्पा देवी

8 ममता

9 ललिता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 सुशीला पुत्रियां स्व. नागरमल समस्त जाति माली निवासिनीगण वार्ड नम्बर 28 गोडमल के कुए के पास कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

11 पटवारी हल्का फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

12 तहसीलदार भूधारक फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

13 उप पंजीयक फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

विविध अपील अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1 सीपीसी
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर
प्रार्थना पत्र संख्या 40/2019 उनवानी नेमीचन्द आदि
बनाम रामकरण आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151
जा.दी. दिनांकित 21.06.2023

उपस्थिति :

1. श्री रतनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.7.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा 40/2019 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर कस्बा फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर 1791 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने आवेदन प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.02.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थना आदेश 39 नियम 4 प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने आदेश 39 नियम 4 का आवेदन बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से स्वीकार कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की ओर से दिनांक 17.02.2023 को एक निराधार आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जा.दी बिना निर्धारित तारीख पेशी के प्रस्तुत किया गया जिसे विचारण न्यायालय की आदेशिका पर कभी नहीं लिया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व मानस बनाकर न्यायिक प्रक्रिया का माखौल उड़ाते हुए बिना अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदत्त किये बिना मनमर्जी से यह अंकित करते हुए कि वकील प्रार्थी ने आदेश 39 नियम 4 सीपीसी का जवाब न देकर बहस हेतु निवेदन किया बहस वकुलाए फरीकेन सुनी गई। उक्त आवेदन अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2023 के जरिये अपीलाधीन आदेश इस आशय का कतई विधि विरूद्ध पारित किया गया है कि आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी के तहत प्रदत्त अधिकार द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांकित 15.01.2020 जो कि रिकार्ड की यथास्थिति तथा आदेश दिनांक 04.05.2022 को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति हेतु जारी किया गया था को अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र इस आधार

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि.
सीकर

पर कतई गलत रूप से पारित किया गया है कि वकील प्रार्थी ने जानबुझकर सम्मन तलवाना पेश करने हेतु अवसर चाहा है जो न्यायोचित नहीं है। कानूनन उक्त निष्कर्ष आदेश 39 नियम 4 सीपीसी की परिधि में नहीं आता है। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपीलाधीन आदेश के साथ ही अपीलांट को सम्मन तलवाना पेश करने हेतु तारीख पेशी दिनांक 24.07.2023 निर्धारित की गई है। वर्तमान में रेस्पोडेन्टस अपीलाधीन आदेश दिनांकित 21.06.2023 की आड़ में अपीलाधीन आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सीपीसी मुकदमा संख्या 40/2019 उनवानी नेमीचन्द आदि बनाम रामकरण आदि में वर्णित विवादित भूमि खसरा नम्बर 1791 रकबा 3.07 हैक्टेयर तन कस्बा फतहेपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर को वेस्ट डेमेज एवं एलाईनेट करने पर अमादा फसाद हो रखे है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2020 एवं 04.05.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। आवेदनकर्ता द्वारा 19 तारीख पेशी दिये जाने के उपरांत भी तलवाना पेश नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि अपीलांट प्रकरण के निस्तारण के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने आदेश 39 नियम 4 का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2020 एवं 04.05.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। आवेदनकर्ता द्वारा 19 तारीख पेशी दिये जाने के उपरांत भी तलवाना पेश नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि अपीलांट प्रकरण के निस्तारण के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने आदेश 39 नियम 4 का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर